



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 कार्तिक , 1943 (श०)

संख्या-564 राँची, शुक्रवार,

12 नवम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

8 नवम्बर, 2021

संख्या-12/स्था०आरोप-02/2009का०7826--श्री शिलेन्द्र कुमार, (झा०स०आ०से०), निजी सहायक, तत्कालीन आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची (संप्रति-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची) को विभागीय आदेश संख्या-8916, दिनांक-10.09.2013 के द्वारा निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया है :-

"श्री शिलेन्द्र कुमार, निजी सहायक, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को 03.01.2012 की तिथि से निलम्बन मुक्त किया जाता है। इस तिथि से पूर्व की निलम्बन अवधि हेतु इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त कोई अन्य लाभ देय नहीं होगा तथा निलम्बन से मुक्ति के पश्चात् ये अपने पदसोपान, जिसमें कार्यरत हैं, के मूल वेतन पर अवक्रमित होंगे ।"

2. विभागीय आदेश संख्या-8916, दिनांक-10.09.2013 के द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री शिलेन्द्र कुमार, निजी सहायक के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका WP(S) No. 7652/2013 (शिलेन्द्र कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) दायर करते हुए उक्त आदेश को चुनौती दी गयी। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त वाद में दिनांक-08.01.2021 को

आदेश पारित करते हुए विभागीय आदेश संख्या-8916, दिनांक-10.09.2013 को निरस्त कर दिया गया है तथा रिट याचिका WP(S) No.- 7522/2012 (शिलेन्द्र कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में दिनांक-09.07.2013 को पारित न्यायादेश तथा रूप सिंह नेगी के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Laid down Law के आलोक में स्वच्छ आदेश (fresh order) पारित करने के लिए स्वतंत्र रखा गया है। WP(S) No. 7652/2013 (शिलेन्द्र कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-08.01.2021 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

“In this view of the matter, the impugned order deserves to be quashed and set aside. Accordingly, the order of penalty as contained in Memo No. 8916 dated 10.09.2013 (Annexure-16) is quashed and set aside. The respondents are free to pass a fresh order in accordance with law and in the light of judgment passed in W.P.(S)No. 7522 of 2012 and also the law laid down by the Hon'ble Apex court in the case of Roop Singh Negi (supra).

With the aforesaid observations and direction, the instant writ application is allowed and stands disposed of.”

3. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP(S)No. 7652/2013 (शिलेन्द्र कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में द्वारा दिनांक-08.01.2021 पारित न्यायादेश तथा विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त मंतव्य/परामर्श के आलोक में समयकरूपेण विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया गया है :-

- (i) श्री शिलेन्द्र कुमार, तत्कालीन निजी सहायक, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची सम्प्रति निजी सहायक, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध पूर्व में संचालित विभागीय कार्यवाही एवं विभागीय आदेश संख्या-8916 दिनांक-10.09.2013 द्वारा अधिरोपित दण्ड को विलोपित किया जाता है ।
- (ii) श्री शिलेन्द्र कुमार को दिनांक-10.09.2013 को दण्ड अधिरोपित किये जाने के पूर्व उनके धारित पद पर **reinstate** किया जाता है ।
- (iii) साक्ष्यों के परीक्षण एवं प्रति परीक्षण हेतु श्री शिलेन्द्र कुमार, निजी सहायक, स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध पुनः विभागीय कार्यवाई संचालित की जाएगी ।

4. उक्त निर्णय के आलोक में श्री शिलेन्द्र कुमार, निजी सहायक के विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या-112/2007, दिनांक-09.10.2007 में निगरानी विभाग के धावादल द्वारा घूस लेते हुए पकड़े जाने के आरोप से संबंधित साक्ष्यों के परीक्षण एवं प्रति परीक्षण हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है ।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री ओम प्रकाश साह, संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी तथा श्री हरि किशोर सुधाँशु, अवर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।
6. श्री शिलेन्द्र कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु संबंधित संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य सहित लिखित बचाव बयान प्रस्तुत करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँगे ।
7. संचालन पदाधिकारी के द्वारा रिट याचिका WP(S) No.- 7522/2012 (शिलेन्द्र कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में दिनांक-09.07.2013 को पारित न्यायादेश तथा रूप सिंह नेगी के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Laid down Law के आलोक में विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के अनुरूप साक्ष्यों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण की कार्यवाई पूरी करते हुए जाँच प्रतिवेदन इस विभाग को समर्पित किया जायेगा ।
8. उपर्युक्त प्रस्ताव पर मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्रभूषण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।
